राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ग्यारसीलाल बनाम नर्बदा देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/02/2026	509/2018 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि मौजा पडासोली तहसील बस्सी, जिला जयपुर में सूज्या पुत्र भैरू रामप्रताप पुत्र छाजू की खातेदारी में ख.नं. 107, रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 107 क, रकबा 5 बिस्वा, 107 ख, रकबा 5 बिस्वा, 107 ग रकबा 17 बिस्वा, 107 घ, 5 बिस्वा, 125 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, 118 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 118 क, रकबा 18 बिस्वा, 119 रकबा 2 बिस्वा गैरमुमकिन चाह, 55 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, 55 क, रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 55 ख, रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 55 ग, रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 55 घ, रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 55 ड, रकबा 2 बीघा, 55 च रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि थी मौजा पडासोली तहसील बस्सी, जिला जयपुर मे सूज्या पुत्र भैरू की खातेदारी में खसरा नम्बर 47 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा 95 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 95 क. रकबा 3 बिस्वा 95 क, रकबा 18 बिस्वा, 176 रकबा 2 बिस्वा गैरमुमकिन चाह 177 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 177क, रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 177ख, रकबा 5 बिस्वा गैरमुमकिन चाह कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि थी। कृषि भूमि मुन्दरजा मद नं 2 वाद पत्र पैतृक सम्पत्ति है यह कृषि भूमि रामप्रताप, मंगल और भैरू पिसरान छाजू के खातेदारी में थी और तीनो को बजिस्ट्रेट बराबर-बराबर हिस्सा दिया था। मंगल और भैरू का स्वर्गवास हुये करीब 10 साल का अर्सा हो गया। मंगल और भैरू के स्वर्गवास के बाद इस कृषि भूमि की खातेदारी सूज्या और रामप्रताप के नाम अंकित की गई है कृषि भूमि मुन्दरजा मद नं 2 वाद पत्र माधो की खातेदारी में थी माधो का स्वर्गवास होने के बाद माधो का अंतिम संस्कार सूज्या ने किया था और उसके माधो की पगडी बंधी थी इसलिए कृषि भूमि मुन्दरजा मद नं 2 वाद पत्र की खातेदारी भी सूज्या के नाम हुयी है प्रतिवादी नं 2 और 3 का कहना है कि प्रतिवादी नं 1 ने कृषि भूमि मुन्दरजा मद नं 2 व 3 वाद पत्र में से खसरा नम्बर 107, 107क, 107ख, 107घ, 125,147, 95, 95क, राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ग्यारसीलाल बनाम नर्बदा देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/1/2018	(2)	

95ख, कुल रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा मय एक मकान जमीन व बाडा प्रतिवादी नं 3 के हक में बख्शीश कर बख्शीशनामा तहरीर और तकमील कराकर रजिस्ट्री करा दी है। प्रतिवादी नं 2 और 3 का यह भी कहना है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त कृषि भूमि मुन्दरजा मद नं 2 व 3 वाद पत्र में से खसरा नम्बर 55, 55क, 55ख, 55ग, 55घ, 553, 55च, 176,177क, 177ख, 118,118क, 119 कुल रकबा 22 बीघा उन्हे बेच दी है और बेनामा तहरीर और तकमील कराकर रजिस्ट्री करा दिया है। प्रतिवादी नं 2 व 3 द्वारा वादी को उपरोक्त जानकारी देने पर वादी ने प्रतिवादी नं 1 से इस संबंध में जानकारी की तो प्रतिवादी नं 1 ने इस संबंध में लाइल्मी जाहिर की और जाहिर किया कि उसने किसी को उपरोक्त जमीन नही बेची और न ही जमीन किसी को बख्शीश की है। वादी ने उपरोक्त दान पत्र एवं बेमाने के संबंध में तहसीलदार बस्सी के कार्यालय में जानकारी की तो वादी को मालुम आ कि प्रतिवादी नं 4 के हक में दानपत्र और प्रतिवादी सं 2 व 3 के हक में बेनामा प्रतिवादी नं 1 द्वारा किया गया है जिनकी सत्य प्रतिलिपि वादी ने तहसीलदार तहसील बस्सी के कार्यालय से प्राप्त की है इस वाद पत्र के साथ दान पत्र एवं बेनामे की सत्य प्रतिलिपि पेश की जाती है सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने के बाद वादी ने प्रतिवादी नं 1 से दान पत्र एवं बेनामें के संबंध में जानकारी की तो प्रतिवादी नं 1 ने वादी से यह जाहिर किया कि उसने कोई दान पत्र, बेनामा, किसी के हक में नही किया। दोनो दस्तावेजात फर्जी है और मुगालता देकर इन दस्तावेजात पर उसके दस्तखत कराये गये है। प्रतिवादी नं 1 ने यह भी जाहिर किया कि उसने प्रतिवादी नं 2 व 3 को जमीन नही बेची और न 5000 रूपये प्राप्त किये है बेनामें में अंकित कृषि भूमि कम से कम 15000 रूपया है 5000 रूपये में बेचने का सवाल पैदा नही होता है। वादी सूरजमल का दत्तक पुत्र है स्वर्गीय सूरजमल ने वादी को हिन्दू धर्मशास्त्र एवं बिरादरी के रीति रिवाज के अनुसार सन 1970 बसन्त पंचमी को गोद लिया था तब से वादी स्वर्गीय सूरजमल के साथ रहकर कृषि भूमि मुन्दरजा अधिकृत होना चाहता है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब वाद प्रस्तुत किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2018 पारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	ग्यारसीलाल बनाम नर्बदा देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
509/2018	(3)	

अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी का लिखित बहस एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात का मनमाने रूप से विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 1 व 2 वादपत्र में प्रश्नाधीन भूमि सूज्या पुत्र भेरू, रामप्रताप पुत्र छाजू की खातेदारी में होने एवं पैत्रिक होने के सन्दर्भ में थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकीयात को निस्तारित करते हुये गौद से सम्बन्धित साक्ष्यो को विवेचित किया गया है, जो उचित नही है | ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात के सन्दर्भ में जो विवेचन किया गया है, वह न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नही है | ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उचित एवं न्यायिक प्रतीत नही होते है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान कायम की गई तनकीयात का सम्बन्धित साक्ष्यो को विवेचित करते हुये विधिसम्मत विस्तृत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर